



भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र



विज्ञापन संख्या : आरआरकेट-3/2016

निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.11.2016

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरकेट), इन्दौर में योग्य अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद कोड	पीडब्ल्यूडी/01
पद का नाम	तकनीकी अधिकारी/सी (इलेक्ट्रॉनिक्स)
वेतन मेट्रीक्स का लेवल	10 [ पे बेंड - 3 : ₹ 15600-39100 + ग्रेड पे ₹ 5400 (पूर्व संशोधित)] यथादेय अन्य भत्ते
पद की संख्या	01 - श्रवण बाधित हेतु आरक्षित (एच एच)
आवश्यक योग्यताएं	न्यूनतम 60 % कुल अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड/केन्द्र राज्य सरकार के संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी.(इंजीनियरिंग)/5 वर्षीय एकीकृत एम.टेक.
चयन/भर्ती प्रक्रिया	व्यक्तिगत साक्षात्कार

पद कोड	पीडब्ल्यूडी/02
पद का नाम	वृत्तिभोगी प्रशिक्षार्थी केटेगरी -I (भौतिकी)
कुल पद	01 – आंशिक अंधत्व (पीबी) के लिए आरक्षित
वजीफ़ा	प्रथम वर्ष ₹ 9300/- प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष ₹ 10500/- प्रतिमाह के साथ केवल एक बार ₹ 1500/- पुस्तक भत्ता
आवश्यक योग्यताएं	बी.एस.सी. में न्यूनतम 60 % अंक (मुख्य विषय भौतिकी व गणित/रसायनिकी/सांख्यिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ कंप्यूटर साइंस अनुषंगी विषय के रूप में)
चयन/भर्ती प्रक्रिया	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार

पद कोड	पीडब्ल्यूडी/03
पद का नाम	वृत्तिभोगी प्रशिक्षार्थी केटेगरी -I (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन)
कुल पद	01 - श्रवण बाधित (एच एच) के लिए आरक्षित
वजीफ़ा	प्रथम वर्ष ₹ 9300/- प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष ₹ 10500/- प्रतिमाह के साथ केवल एक बार ₹ 1500/- पुस्तक भत्ता
आवश्यक योग्यताएं	इलेक्ट्रॉनिक्स/ इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60 % अंकों के साथ डिप्लोमा/ लायसेंसधारी (एसएससी के बाद 3 वर्ष अथवा एचएससी के बाद 2 वर्ष)
चयन/भर्ती प्रक्रिया	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार

पद कोड	पीडब्ल्यूडी/04
पद का नाम	तकनीशियन/बी (प्लम्बर)
कुल पद	01 - आंशिक अंधत्व (पीबी) के लिए आरक्षित
वेतन मेट्रीक्स का लेवल	3 [ पीबी - 1 : ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2000/- (पूर्व संशोधित)] एवं अन्य यथादेय भत्ते
आवश्यक योग्यताएं	एचएससी अथवा एसएससी की परीक्षा में विज्ञान एवं गणित विषय के साथ न्यूनतम 60 % अंकों के साथ पास तथा प्लम्बिंग ट्रेड में एक वर्ष की अवधि का ट्रेड प्रमाण पत्र
वांछित अनुभव	निर्माण क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव

चयन/भर्ती प्रक्रिया	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं कौशल परीक्षा
पद कोड	पीडब्ल्यूडी/05
पद का नाम	तकनीशियन/बी (वातानुकूलन)
कुल पद	01 - श्रवण बाधित (एच एच) के लिए आरक्षित
वेतन मेट्रीक्स का लेवल	3 [ पीबी - 1 : ₹ 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹ 2000/- (पूर्व संशोधित)] एवं अन्य यथादेय भत्ते
आवश्यक योग्यताएं	एचएससी अथवा एसएससी की परीक्षा में विज्ञान एवं गणित विषय के साथ न्यूनतम 60 % अंकों के साथ पास तथा वातानुकूलन में एक वर्ष की अवधि का ट्रेड प्रमाण पत्र
वांछित अनुभव	HVAC संस्थापनाओं के इरेक्शन /अनुरक्षण कार्य में दो वर्ष का अनुभव
चयन/भर्ती प्रक्रिया	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं कौशल परीक्षा

- नोट : 1) निःशक्तता की परिभाषा जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004-Estt(Res) में उल्लिखित है वही रहेगी ।
- 2) आरक्षण हेतु निःशक्तता की श्रेणी / प्रतिशत : 40%
- 3) डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा बोर्ड संस्थान द्वारा जारी होना चाहिये ।

#### आयु में छूट :

केवल मेट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र/ म्यूनिसिपल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही स्वीकार्य होगी । इस बारे में परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष - श्रेणीवार अधिकतम आयु में छूट इस प्रकार है :-

पद कोड	अधिकतम आयु				टिप्पणी
	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	
पीडब्ल्यूडी/01	42	42	40	37	पद अनन्य रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है
पीडब्ल्यूडी/02	39	39	37	34	
पीडब्ल्यूडी/03	39	39	37	34	
पीडब्ल्यूडी/04	40	40	38	35	
पीडब्ल्यूडी/05	40	40	38	35	

**जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग के मूल अधिवासी जो निःशक्त हैं :** उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी । प्रमाण पत्र निम्नलिखित अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये :

- जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे मूलरूप से या सामान्यतः रहते थे । अथवा
- कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उनको इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी थे ।

**1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इस आशय का सबूत प्रस्तुत करना होगा कि 1984 के दंगों में वे प्रभावित हुए थे ।**

**महत्वपूर्ण :** भर्ती के नियमों में न्यूनतम योग्यता तथा अंकों का प्रतिशत पात्रता मापदंड में शामिल है। तथापि यदि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार निम्न योग्यता वाले निर्धारित पद का चयन कर लेते हैं, तो सिद्धांत: उन्हें उनके भर्ती के अवसर से मना नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार, जो भर्ती के बाद पहले से ही 60% अंकों के साथ उच्च योग्यता रखते हैं अथवा जिनकी उच्च योग्यता प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है, के सेवा में रहते समय निम्नलिखित निर्धारित अवधि के लिये अतिरिक्त योग्यता आधारित पदोन्नति के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जायेगा :

- क. बी.एस.सी./इंजीनियरिंग में डिप्लोमा - 6 वर्ष  
 ख. बी.टेक./ए.एम.आई.ई/एम.एस.सी. - 8 वर्ष  
 ग. एम.टेक./पी.एच.डी. - 10 वर्ष

**निम्नलिखित सूचना केवल वृत्तिभोगी प्रशिक्षार्थियों के टैगरी - 1 (पद कोड पीडब्ल्यूडी/02 एवं पीडब्ल्यूडी/03) के लिए लागू है :-**

**अ. लिखित परीक्षा :** एक घंटे की अवधि की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए इन्दौर में कम से कम दो दिनों तक ठहरने की तैयारी से आना होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को इन दो दिनों के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यथा स्थिति उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम डिप्लोमा/बी.एस.सी. स्तर के विषयों पर पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयनित सूची में रखकर उसी दिन अथवा अगले दिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

अभ्यर्थी का अंतिम चयन एवं श्रेणीकरण उनके साक्षात्कार में किए गए कार्य निष्पादन पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। केन्द्र का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

**ब. प्रशिक्षण विषय क्षेत्र :** चयनित अभ्यर्थियों को इस केन्द्र की युक्ति-युक्त आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक ट्रेड/विधा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबद्ध ट्रेड/विधा के विभिन्न पहलुओं पर **दो वर्ष** का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षण स्थान/अंतिम नियोजन के लिए चयन/विकल्प नहीं होगा। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को रात-दिन की पारी में शिफ्ट ड्यूटी, रात्रिकालीन पारी सहित विभिन्न पारियों में कार्य करना पड़ सकता है।

**स. निष्पादन बंधपत्र :** चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने और यदि प्रशिक्षण के पश्चात नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति के पश्चात की 3 वर्ष की अवधि तक आरआरकेट, इन्दौर अथवा परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने का बंधपत्र भरना होगा। प्रशिक्षणार्थी जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया है, प्रशिक्षण पूरा करने में अथवा 3 वर्षों की सरकारी सेवा करने में असफल रहते हैं तो सरकारी नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्राप्त हुई वजीफे की संपूर्ण समकक्ष राशि ब्याज सहित सरकार को लौटानी होगी।

**द. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात ग्रेड :** प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात, श्रेणी- 1 के वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण के दौरान उनके कार्य निष्पादन व प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाले साक्षात्कार के आधार पर, उन्हें वैज्ञानिक सहायक/सी [वेतन मेट्रीक्स का लेवल - 7 (पीबी-2 : ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4600 (पूर्व संशोधित))] के पद पर नियुक्ति के बारे में विचार किया जाएगा।

**ई. आवास :** आरआरकेट द्वारा वृत्तिभोगी प्रशिक्षार्थी के टैगरी-1 को ही आरआरकेट कालोनी में आवास उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा अनुमोदित निर्धारित लाइसेंस फीस, विद्युत प्रभार/जल प्रभार के भुगतान पर शेयरिंग आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

**निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं**

i) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता)

अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र विधिवत रूप से जारी किया जाना चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करें जिनमें कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।

- ii) जिन अभ्यर्थियों में अशक्तता अस्थायी तौर पर है, उनके लिए प्रमाण-पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जहाँ कहीं अशक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना रहेगी, वहाँ प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि मेडिकल बोर्ड दर्शाएगा। वे जिन्हें स्थायी अशक्तता है तो वैधता को स्थायी दर्शाया जा सकता है। अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर, मेडिकल बोर्ड सभी तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो मामले के लिए उचित होंगे।
- iii) अजा/अजजा/अपिव से संबंधित व्यक्तियों का चयन अन्य अभ्यर्थियों के साथ बगैर किसी छूट के मेरिट में होता है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। बर्तते यह पद निःशक्तजन से संबद्ध श्रेणी में आता हो।

## सामान्य अनुदेश

1. अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम दिनांक तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है / नहीं करेंगे, तो वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे अतः उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
2. अगर विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार समकक्ष प्रतिशत में भी अंकित करें। ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का साक्षात्कार के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।
3. बाहर से आने वाले अजा/अजजा अभ्यर्थियों को नियमानुसार आने जाने का लघुतम मार्ग का द्वितीय श्रेणी अथवा बस किराया उनके द्वारा पेपर टिकिट प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। अगर रियायती टिकिट उपलब्ध है तो किराये का भुगतान रियायती टिकिट तक ही सीमित होगा।
4. ऐसे आवेदन पत्र जो विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकार करने की संभावना है। जैसे, जो आवेदन निधारित प्रपत्र में नहीं हैं, अपूर्ण, अहस्ताक्षरित, बिना फोटो, बगैर स्वप्रमाणित सभी अंकसूत्रियों की प्रतियां, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी मामले में नॉन क्रिमीलेयर एवं जम्मू कश्मीर मूल निवासी मामले में आवासीय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपियां इत्यादि। लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार / नियुक्ति के लिये चयन न होने की स्थिति में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।
5. जिस पद हेतु आवेदन किया है, उसे लिफाफे के ऊपर अंकित करें अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. उम्मीदवार को उनके आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अतः उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पूर्व सभी अर्हताओं को पूरा कर लें। अगर बाद में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना गलत अथवा आवेदक संबंधित पद हेतु सभी पात्रताएं पूरी नहीं करता है तो ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं इस विषय में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र सह बुलावा पत्र जारी करने मात्र से ही कोई नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। नियुक्ति सभी पात्रताओं को पूरी करने पर निर्भर होगी।
7. भारत सरकार में नियुक्ति हेतु अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो आरआरकेट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
8. अजा/अजजा/अपिव संबंधित अभ्यर्थी अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण विनिर्दिष्ट प्रपत्र में संलग्न करें। ऐसा न करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा बाद में समुदाय श्रेणी में परिवर्तन संबंधी किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपिव संबंधी मामले में प्रमाण पत्र पर विशेष तौर से यह उल्लेख होना चाहिए कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-Estt.(Res.) में उल्लेखित किसी भी क्रिमीलेयर में नहीं आते हैं।
9. आरआरकेट के पास पद को भरने अथवा पूरी भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी पूर्व सूचना या कोई कारण बताए रद्द / प्रतिबंधित/ संशोधित / परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

10. उपरोक्त विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भरे जाएंगे और यदि निर्णय लिया गया तो पद न भी भरे जा सकते हैं। अन्यथा समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों की शर्तें लागू रहेंगी।
11. इस विज्ञापन के तहत चयनित किए गए अभ्यर्थियों को आरआरकेट, इंदौर में तैनात किए जाने की संभावना है, किन्तु उन्हें भारत के किसी भी स्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करना होगा।
12. केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वशासी निकाय में कार्यरत व्यक्तियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए। हालांकि, वे अपने आवेदन की अग्रिम प्रति ऊपर वर्णित संलग्नकों के साथ अंतिम दिनांक से पहले नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं। साक्षात्कार में शामिल होने के समय उन्हें अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ लाना होगा।
13. उपरोक्त पदों के तहत नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना सं एफ.सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर के तहत यथा अधिसूचित नई अंशदायी पेंशन योजना (01.01.2004 से लागू) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

### आवेदन कैसे करें

- i. सिर्फ ऑन-लाइन आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑन-लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व बंद हो जाएगी।
- ii. अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन-पत्र (ऑन-लाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रिंट ली गई) की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ नीचे दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजना होगी जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा इससे पूर्व पहुंच जाना चाहिए :-

**सहायक कार्मिक अधिकारी  
(भर्ती)  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी  
केन्द्र  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
डाकघर-केट, इंदौर - 452013  
(म.प्र)**

- iii. लिफाफे पर इस प्रकार लिखा जाना चाहिए :-

पद के लिए आवेदन	पद कोड	पद	विज्ञापन सं.
	पीडब्ल्यूडी/.....		आरआरकेट-3/2016

### प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियां

अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित (सिर्फ एक) प्रति संलग्न करनी चाहिए :-

- क) अभी हाल ही का पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो जो आवेदन पत्र के दाएं हाथ के ऊपर कोने में चिपकाया गया हो
- ख) शैक्षणिक योग्यताएं (उपयुक्त अंकसूचियां जिनमें परीक्षा में लिए गए विषय दर्शाए गए हों) से संबंधित प्रमाणपत्र
- ग) जन्म-तिथि प्रमाणपत्र
- घ) निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकृत द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह दावा किया गया हो कि आवेदक अजा/अजजा/अपिव/पीडब्ल्यूडी से संबंधित है

- ड) अपिब अभ्यर्थियों के संबंध में नॉन क्रिमीलेयर व वैधता प्रमाण पत्र जो एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया गया हो
- च) 1984 के दंगों से प्रभावित होने का प्रमाण, यदि लागू हो
- छ) जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी होने का प्रमाण पत्र। (यदि वे कश्मीर संभाग के लिए आयु में छूट चाहते हैं)।

चयन न किए गए अभ्यर्थियों का रिकार्ड चयन सूची तैयार करने की तिथि से छः माह के पश्चात् नहीं रखा जाएगा।

पूर्ण सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कृपया वेबसाइट [http://www.rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current\\_Openings.html](http://www.rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current_Openings.html) का अवलोकन करें।

\*\*\*\*\*